

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक / बा०वि०परि०/ ए०डी० कैम्प/ 2022-23, दिनांक 20 जुलाई, 2022

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय :-आजादी अमृत महोत्सव के अन्तर्गत "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1939/58-1-2022, दिनांक 13.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते हैं:-

- 1-समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर झण्डा संहिता के नियमों का अनुपालन करते हुए दिनांक 13.08.2022 से 15.08.2022 तक प्रत्येक दिवस में झण्डारोहण सुनिश्चित कराया जाए।
- 2-समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 3-6 वर्ष के बच्चों से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं झण्डागीत का गायन कराया जाय। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम-देशभक्ति गीत, देशभक्ति पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आदि आयोजित करायी जायें। झण्डा रोहण हेतु झण्डे का आकार 30"x20" या 15"x10" का होना चाहिये।
- 3-कारपोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी (सी०एस०आर०), जनसहभागिता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्राम प्रधानों के माध्यम से कार्यक्रम अवधि में किसी दिवस विशेष पर बच्चों में मिष्ठान वितरण भी कराया जाय। झण्डारोहण हेतु पर्याप्त मात्रा में झण्डे की आपूर्ति दिनांक 31.07.2022 तक सुनिश्चित कर लिया जाए।
- 4-संस्कृति विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 01.06.2022 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गयी है, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी भी सदस्य हैं। अतः जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यक्रम आयोजन के संबंध में दिये गये निर्देशों का जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5- हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में जनपदों की परियोजनाओं में कराये गये कार्यक्रमों के फोटोग्राफ, वीडियो एवं अन्य टेस्टीमोनियल सामग्री भारत सरकार की वेबसाइट पर harghartiranga.com तथा उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट harghartiranga.up.org पर अपलोड करने के साथ साथ इस वेबसाइट पर #Selfiewithtiranga के माध्यम से सेल्फी खींच कर डाला जा सकता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम में जिला प्रशासन का सहयोग करते हुये अपने स्तर से भी कार्यक्रम का सफल आयोजन कराना सुनिश्चित करें।

(डा० सारिका मोहन)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या- C-424 /तददिनांक।

प्रतिलिपि :-1-सचिव, बाल विकास एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 13.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ।

2-श्री सेराज अहमद, संयुक्त परियोजना समन्वयक/नोडल अधिकारी, वेबसाइट/सोशल मीडिया को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 22.07.2022 तक विभागीय वेबसाइट के होम पेज तथा Facebook और Twitter पर तिरंगा का आइकॉन प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

(डा० सारिका मोहन)
निदेशक।

(सेराज अहमद)

संयुक्त परियोजना समन्वयक

32/J.P.C/2022

20-7-22